न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/229

1. जगदीश पुत्र रामदेवा, उम्र 76 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम रामनगर पटवार हल्का नाटास, तहसील गुढा गौडजी, जिला झुन्झुनूं।

— अपीलांट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र जगुराम,
2. गोकुल पुत्र जगुराम,
3. बुटी पुत्र जगुराम,
4. समदर पुत्र जगुराम,
5. शांति पत्नि जगुराम (फौत),
6. चन्द्रावली पुत्री रामेश्वर,
7. तीजा पुत्री रामेश्वर (फौत),
   7/1 सुमन पुत्री तीजा,
   7/2 धर्मपाल पुत्र तीजा,
8. मंगेज सिंह पुत्र मंगला उर्फ माघाराम (फौत),
   8/1 रणपाल पुत्र मंगेजसिंह,
   8/2 किशोर पुत्र मंगेजसिंह,
   8/3 सुनीता पुत्री मंगेजसिंह,
9. सुल्तान पुत्र मंगला उर्फ माघाराम,
   समस्त जाति मेघवाल निवासीगण रामनगर पटवार हल्का नाटास तहसील गुढा गौडजी जिला झुन्झुनूं।
10. राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गुढा गौडजी तहसील गुढा गौडजी जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्टस

11. विजेन्द्र पुत्र स्व० सरदारा,
12. विनोद पुत्र स्व० सरदारा,
13. सुरेन्द्र पुत्र स्व० सरदारा,
14. सन्जू पुत्री स्व० सरदारा,
15. मन्जू पुत्री स्व० सरदारा,
16. गीता देवी पत्नि स्व० सरदारा,
    समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम रामनगर पटवार हल्का नाटास तहसील गुढा गौडजी जिला झुन्झुनूं।

— परफोरमा रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं दिनांक 23.07.2024 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट उनवानी ओमप्रकाश व अन्य बनाम राजस्थान सरकार मुकदमा नंबर 107/2024 पर पारित किया गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित :–

1. श्री अश्वनी कुमार मीना, वकील अपीलान्ट।
2. श्री तुषार पंवार, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4, 6, 8/1 से 8/3 व 9 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 7/1 से 7/2 व 11 से 16 बाद तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 26.12.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 23.07.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 01 लगायत 9 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम रामनगर, पटवार हल्का नाटास, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनूं में स्थित है, जो प्रार्थीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 17.05.2024 को पटवारी हल्का नाटास द्वारा मौके पर जाकर किया तथा फर्द मौका सीमाज्ञान तैयार किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेश दिये गये कि राजस्व ग्राम रामनगर, पटवार हल्का नाटास, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 10 कुल रकबा 1.27 है0 के चारों ओर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.05.2024 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूला जाकर सीमा चिन्ह यानि पत्थरगढ़ी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2024 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 23.07.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट जगदीश पुत्र रामदेवा ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं दिनांक 23.07.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त आदेश खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल है इसलिए चुनौतीग्रस्त आदेश को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 द्वारा प्रस्तुत किया गया धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के आवेदन का विधिपूर्ण अवलोकन नही किया यदि योग्य अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 द्वारा प्रस्तुत आवेदन की मद संख्या 3 का अवलोकन करते तो निश्चित तौर पर चारों तरफ के खसरा नम्बरान के खातेदारान को पक्षकार बनाये जाने का आदेश पारित करते एवं चारों तरफ के खसरा नम्बरान के खातेदारान को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते। परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 ने तो तथ्यों को छुपाकर आवेदन प्रस्तुत किया एवं अपीलांट तथा परफोरमा रेस्पोडेन्ट को पक्षकार ही नही बनाया। लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने भी पक्षकार नियोजित किये जाने का आदेश पारित नही किया। जो कि विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है तथा चुनौतीग्रस्त आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण स्थिर रहने योग्य नही है इसलिए चुनौतीग्रस्त आदेश को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

वर्तमान खसरा नम्बर 10 एवं अपीलांट की कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 2 एवं वर्तमान खसरा नम्बर 447/1 एवं 448/1 के मूल खसरा नम्बर 1 पुराना खसरा नम्बर 1 रकबा 20 बीघा 1 बिस्वा से ही बने थे परन्तु द्वितीय भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान बिना किसी सक्षम आदेश के अपीलांट एवं परफोरमा रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 2 का क्षेत्रफल 1.25 हैक्टर की बजाय 0.74 हैक्टर अंकित कर दिया एवं 0.51 हैक्टर क्षेत्रफल कम कर दिया था एवं नक्शा को भी कब्जा काश्त के विपरीत बना दिया था। जिसकी अपीलांट एवं उसके भाई सरदारा व मंगेजा को जानकारी हुई तब अपीलांट एवं उनके भाईयों ने वर्ष 1993 में दावा सं. 238/1993 बउनवानी सरदार आदि बनाम जगदीश आदि प्रस्तुत किया था। जिसे दिनांक 25.04.1994 को डिक्री कर दिया था। जिसकी पालना के लिए अपीलांट आदि ने इजराय आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसे स्वीकार किया जाकर पालना हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया था उक्त पालना आदेश दिनांक 03.08.2007 के विरूद्ध अपील सं. 148/2007 बउनवानी जगदीश आदि बनाम चन्द्रावली आदि प्रस्तुत हुई। जिसका निर्णय दिनांक 30.05.2012 को किया था। अपील को खारिज किया था तत्पश्चात योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इजराय आदेश एवं न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा दिनांक 30.05.2012 को पारित निर्णय के विरूद्ध निगरानी सं. 7259/2012 बउनवानी जगदीश आदि बनाम चन्द्रावली आदि प्रस्तुत हुई। जिसका निर्णय दिनांक 30.10.2023 को किया जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2012 को पुष्ट कर दिया। जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या 7259/2012 उनवानी जगदीश आदि बनाम चन्द्रावली आदि प्रस्तुत हुई जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने दिनांक 30.10.2023 को खारिज कर दिया। इन सभी तथ्यों की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 को पूर्णतया जानकारी रही है क्योंकि वे उक्त प्रकरणों में पक्षकार रहे है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्टस ने भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं के समक्ष दावा सं. 54/2008 बउनवानी श्रीमती चन्द्रावली आदि बनाम सरदारा आदि दावा बाबत दुरूस्ती नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया था। जिसमें भी नक्शा को दुरूस्त करने का अनुतोष प्राप्त करना चाहा था अर्थात अपीलांट एवं परफोरमा रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2 की सीमाओं एवं क्षेत्रफल 1.25 हैक्टर का सही होना मान्य किया था एवं वाद संख्या 238/1993 निर्णय दिनांक 25.04.1994 के अनुसार नक्शा को दुरूस्त करने के लिए प्रार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के समक्ष नक्शा दुरूस्ती के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से निगरानी दिनांक 30.10.2023 को निर्णित होने के पश्चात पुनः आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार गुढा गौडजी के निर्देश पर दिनांक 08.10.2024 को मौका रिपोर्ट तैयार की गयी। उक्त रिपोर्ट के मुताबिक भी अपीलांट एवं परफोरमा रेस्पोडेन्टस पुराना कब्जा के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 447/1 के दक्षिणी तरफ एवं खसरा नम्बर 10 में से दक्षिणी तरफ की 0.51 हैक्टर भूमि पर कब्जा एवं आवासीय मकान होना एवं खसरा नम्बर 10 के खातेदार का खसरा नम्बर 10 में से उतरी तरफ की शेष भूमि एवं खसरा नम्बर 447/1 की भूमि पर खातेदारान का कब्जा होना मौका रिपोर्ट से प्रमाणित है। उक्त मौका स्थिति एवं न्यायालय के निर्णय एवं रेस्पोडेन्टस द्वारा स्वयं प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्यों से स्पष्ट रहा है कि द्वितीय भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 10 का नक्शा गलत बनाया एवं उसे दुरूस्त करने का निर्णय प्रभावी रहने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 ने योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी का गलत आवेदन प्रस्तुत किया। जो कि विधि के प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्त किया जाना न्याय संगत था ऐसी स्थिति में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्थरगढी के आवेदन को खारिज किया जाना न्याय संगत था।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन को स्वीकार कर लिया उक्त आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण चुनौतीग्रस्त आदेश को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है।

योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट एवं परफोरमा रेस्पोडेन्टस को पक्षकार नियोजित नही किया। जिस कारण अपीलांट को सुनवायी का समुचित अवसर प्राप्त नही हुआ। जबकि सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है इसलिए चुनौतीग्रस्त आदेश को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। खसरा नम्बर 10 का दक्षिणी तरफ का 0.51 हैक्टर रकबा पर अपीलांट एवं परफोरमा रेस्पोडेन्टस अपने हिस्सा अनुसार काबिज है एवं कब्जेशुदा रकबे पर अपीलांट एवं परफोरमा रेस्पोडेन्टस के आवासीय मकान एवं चारदीवारी एवं पुराना कुआ है। इस भूमि पर अपीलांट एवं परफोरमा रेस्पोडेन्टस का पीढी दर पीढी वर्षों से निरन्तर कब्जा है, पक्के आवासीय मकान है। परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 चुनौतीग्रस्त आदेश की आड में अपीलांट एवं परफोरमा रेस्पोडेन्टस को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नही है फिर भी यदि रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 9 अपने इस कुउदेश्य में सफल हो गये तो अपीलांट एवं परफोरमा रेस्पोडेन्टस को इतनी अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति कभी भी नही हो सकेगी। इसलिए चुनौतीग्रस्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित करने एवं रिकार्ड व मौका की स्थिति को यथावत रखने हेतु अपील के साथ धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं धारा 151 सीपीसी का आवेदन सादर प्रस्तुत है। अपीलांटस को योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नियोजित नही किया एवं जिस खसरा नम्बर 10 के संबंध में पत्थरगढी का चुनौतीग्रस्त आदेश योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया है उक्त खसरा नम्बर 10 में से दक्षिणी तरफ की 0.51 हैक्टर भूमि अपीलांट एवं परफोरमा रेस्पोडेन्टस के कब्जा व खातेदारी की भूमि का भाग है जिसके संबंध में रिकार्ड दुरूस्ती का निर्णय भी न्यायालय द्वारा हो चुका है परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त आदेश से अपीलांट एवं परफोरमा रेस्पोडेन्टस के हित प्रभावित हुए है। अपीलांट प्रभावित व्यक्ति है परन्तु माननीय न्यायालय हाजा की इजाजत से ही अपील प्रस्तुत की जा सकती है। इसलिए अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की न्यायहित में इजाजत प्रदान किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए धारा 96 सीपीसी का आवेदन अपील के साथ सादर प्रस्तुत है।

अपीलांट को चुनौतीग्रस्त आदेश की पूर्व में जानकारी नही थी अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी उस समय हुई जब रेस्पोडेन्टस अपीलांटस के कब्जा अधिकार की कृषि भूमि की मौके की वास्तविक सीमाओं को हटाकर खसरा नम्बर 10 का द्वितीय सैटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान बनाये गये नक्शा के अनुसार अपीलांट एवं 'परफोरमा रेस्पोडेन्टस को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने एवं मुताबिक गलत नक्शा पत्थरगढी करने की दिनांक 11.12.2024 को धमकी देने लगे एवं कहने लगे कि "पत्थरगढी का न्यायालय का आदेश है इसलिए पत्थरगढी करके रहेगे। इस पर अपीलांट ने चुनौतीग्रस्त आदेश की जानकारी करके नकल का आवेदन प्रस्तुत किया। नकल दिनांक 12.12.2024 को प्राप्त हुई जिससे अपीलांट को चुनौतीग्रस्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई। इसलिए चुनौतीग्रस्त आदेश की दिनांक 23.07.2024 से लेकर नकल प्राप्त होने की दिनांक 12.12.2024 तक की अवधि को न्यायहित में कण्डोन किया जाने पर अपील अंदर मियाद कानूनी मियाद है। उक्त अवधि को कण्डोन करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन साथ में सादर प्रस्तुत है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 23.07.2024 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा प्रकरण सं. 107/2024 बउनवानी ओमप्रकाश आदि बनाम राज्य सरकार में दिनांक 23.07.2024 को पारित निर्णय को अपास्त (खारिज) किये जाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4, 6, 8/1 से 8/3 व 9 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 01 लगायत 9 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम रामनगर, पटवार हल्का नाटास, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनूं में स्थित है, जो प्रार्थीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 17.05.2024 को पटवारी हल्का नाटास द्वारा मौके पर जाकर किया तथा फर्द मौका सीमाज्ञान तैयार किया गया था। रेस्पोडेन्ट नं. 01 लगायत 9 उक्त भूमि पर बदस्तूर कब्जा काश्त होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट नं. 01 लगायत 9 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2024 पारित किये गये। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है, बल्कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 01 लगायत 9 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 11.12.2024 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना एवं अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 09 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट में पडौसी खातेदार काश्तकार अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 09 के कथन को सही मानते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 09 की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की भूमि स्थित है। अपीलान्ट उक्त विवादित भूमि के समीपस्थ पक्षकारान् है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि :– अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.07.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 26.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर